संख्या-15/2015/ए-1-959/दस-2015-10(6)/90

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015

विषय- सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2015/ए-1-544/दस-2015-10(6)90, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31-07-2015 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-6 को कृपया निम्नानुसार संशोधित समझा जाय :-

वर्तमान प्रभावी व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृत आदेश को केवल उस कोषागार को पृष्ठांकित करेंगे, जहाँ से उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उनकी पेंशन का आहरण किया जाना है।	स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृत आदेश को केवल उस कोषागार को पृष्ठांकित करेंगे, जहाँ से उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयक का आहरण किया जाना है।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31-07-2015 की शेष प्रक्रिया यथावत् रहेगी।

भवदीय,
राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव ।

कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ०प्र०
26.10.2015

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2015/ए-1-959(1)/दस-2015-10(6)/90, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0।

(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(5) महालेखाकार (आडिट)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का तत्परता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(8) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018- जवाहर भवन, लखनऊ ।

(9) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, 8वाँ तल, लखनऊ ।

(10) भुगतान एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,

(राजीव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

-3-

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य शासनादेश पृष्ठांकन-(100)//2015-16// 4499 // वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // जनवरी, 08, 2016

पृ0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

4- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ ।

5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु ।

6- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)/ आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

7- पटल प्रभारी स्था0-3(क) / 3(ख) / 5(क) व 5(ग) वाणिज्य कर मुख्यालय ।

(रण विजय यादव)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

http://shasanadesh.up.nic.in